6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY
(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

SU/2013/REG-03/RGF 2013-14/2552/1324 Dated: 22.11.2019

CIRCULAR - 380/2019

Subject: Submission of Revised Guest / Visiting Faculty Remuneration Bill Claim Form within 2nd Working Day of every month.

This is for information to all HoD(s)/In-charge of Departments that previously there was a system of forwarding Guest/Visiting Faculty remuneration bill claim form within 7th of next month to Finance Department as a result the Guest /Visiting Faculty were receiving monthly remuneration after 15th of every month.

Henceforth, all HoD(s)/In-charge of Departments are requested to circulate the Revised Guest/Visiting Faculty remuneration bill claim form **(copy enclosed)** to all Guest/Visiting Faculty in the Department and forward the filled in complete claim form by 2nd working day of every month to Finance Department so that the Guest/Visiting Faculty will receive the monthly remuneration by 10th of every month.

[This Circular is issued with the approval of Hon'ble Vice-Chancellor]

(Debasish Pal)
Finance Officer

Enclo: 1. Bill of Guest Faculty Remuneration
2. Details of classes taken Annexure - A

Copy to:

1. PS to the Vice-Chancellor for kind information of Vice-Chancellor
2. PS to the Registrar
3. PS to the Finance Officer
4. All HoD(s)/In-charge with request to circulate revised remuneration bill claim to Guest/Visiting Faculty in the Department
5. Internal Audit Officer
6. Mrs. Pooja Khilingay, LDC (F)
7. All Notice Boards
8. Guard File

Sikkim University
Finance Department
Bill of Guest/Visiting Faculty for the period ________ to ________

1. Name of the Guest/Visiting Faculty (in block letter) :
2. Department in which lectures delivered :
3. Reference to appointment order issued by Registrar :
4. Contact Number :
5. Total Bill Amount :

(No. of Class) X (Rs. 1,500/- per Class)	Total Amount (Max. Rs. 50,000 p.m.)

6. PFMS Form No. 2 with my bank A/c details is submitted for online payment

Date: **Signature of the Guest/Visiting Faculty**

Based on the records maintained by the department it is certified that Prof./Dr./Mr./Ms.____________________ appointed as Guest Faculty vide order no. ____ has taken __________classes during the month of ____________________ with total admissible honorarium of Rs. ______________________________.

Enclo: Details of classes taken in Annexure - A

Signature of HoD / In-Charge

Date: **Seal**

*Note: (i) All the Guest/Visiting Faculties are requested to submit the bills latest by 2nd working day of every month and there should be only one bill for the month.
(ii) The details of the classes taken needs to be updated and certified by the each HoD/In-charge in the **Annexure A** (copy attached).
(iii) In case if you are a Sikkim Subject holder, please enclose self-certified copy of your CoI for seeing exemption from TDS at the time of 1st month claim.
(iv) Duty performed before/after the start/suspension of classes as per Academic Calendar may not be included while calculating the total number of classes taken.
(v) All new Guest Faculty are requested to submit PFMS Form – 2 available in the University website i.e. www.cus.ac.in

Annexure - A

Recommendation of Head/In-charge of the Department

Prof./Dr./Mr./Ms. ______________________________________ delivered ___ number of lectures in the Department of __________________________ during the period ________ to ________. Remuneration payable is ________ (Rupees ________________________________) @ 1,500 per lecture.

Sl. No.	Date/Day	Time	No. of classes	Total

Date:

Signature of the HoD/In-charge:

Seal

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

SU/2013/REG-03/RGF2013-14/2552/1324 दिनांक: 22.11.2019

परिपत्र - 380/2019

विषय : प्रत्येक माह के दूसरे कार्य दिवस के अंदर संशोधित अतिथि/ विजिटिंग संकाय पारिश्रमिक बिल के दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में।

यह सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रभारियों के सूचनार्थ है कि पहले अतिथि/ विजिटिंग संकाय पारिश्रमिक बिल का दावा फार्म अगले महीने की 7 तारीख के भीतर वित्त विभाग को अग्रेषित किए जाने की प्रणाली थी, जिसके परिणामस्वरूप अतिथि/ विजिटिंग संकायों को प्रत्येक महीने के 15 तारीख के बाद मासिक परिश्रमिक मिलते रहे थे।

अत: सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रभारियों से निवेदन है कि वे संशोधित अतिथि/ विजिटिंग संकाय पारिश्रमिक बिल का दावा फॉर्म को विभाग के सभी अतिथि/विजिटिंग संकायों में वितरित करें और प्रत्येक महीने **(प्रतिलिपि संलग्न)** के द्वितीय कार्य दिवस तक सम्पूर्ण रूप से भरे गए दावा फॉर्म को वित्त विभाग में अग्रेषित कर दें ताकि अतिथि/ विजिटिंग संकायों को हर महीने की 10 तारीख तक मासिक पारिश्रमिक प्राप्त हो।

[यह परिपत्र माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी है]

दे. पाल

(देवाशीष पाल)
वित्त अधिकारी

संलग्न : 1. **अतिथि संकायों के परिश्रमिक का बिल**
2. **ली गयी कक्षाओं का विवरण अनुलग्नक - क**

प्रतिलिपि :

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी के निजी सचिव
4. सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रभारी - विभाग के सभी अतिथि/विजिटिंग संकायों में संशोधित पारिश्रमिक बिल को वितरित करने के निवेदन के साथ
5. आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी
6. श्रीमती पूजा खिलिंगे, एलडीसी (वित्त)
7. सभी सूचना पट
8. सुरक्षा फ़ाइल

सिक्किम विश्वविद्यालय

वित्त विभाग

अतिथि/विजिटिंग संकायों के ____________ से _____________ तक के बिल

1. अतिथि/विजिटिंग संकाय का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. विभाग का नाम जिसमें व्याख्यान दिया गया है :
3. कुलसचिव द्वारा जारी नियुक्ति आदेश का संदर्भ :
4. संपर्क नंबर :
5. कुल बिल राशि :

(कक्षाओं की सं.) (प्रति कक्षा रु. 1500/-)	कुल राशि (प्रति माह अधिकतम रु. 50,000)

6. ऑनलाइन भुगतान के लिए पीएफ़एमएस प्रपत्र सं 2 के साथ मेरे बैंक का विवरण प्रस्तुत है

दिनांक : **अतिथि/ विजिटिंग संकाय का हस्ताक्षर**

विभाग द्वारा संरक्षित अभिलेखों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रो./डॉ./श्री/सुश्री ....,जिनको आदेश सं ....द्वारा अतिथि संकाय के रूप में नियुक्त किया गया था, ने रु..के कुल स्वीकार्य मानदेय के साथ ....महीने के दौरान ....कक्षाएं ली है।

संलग्न : अनुलग्नक - क में ली गयी कक्षाओं का विवरण

विभागाध्यक्ष/प्रभारी का हस्ताक्षर

दिनांक :

टिप्पणी : (i) सभी अतिथि / विजिटिंग संकायों से अनुरोध किया जाता है कि वे हर महीने के द्वितीय दिन तक बिल प्रस्तुत करें और एक महीने के लिए केवल एक बिल होना चाहिए।

(ii) ली गयी कक्षाओं का विवरण अनुलग्नक - क (प्रति संलग्न) में प्रत्येक विभागाध्यक्ष/ प्रभारी द्वारा अद्यतन और प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(iii) यदि आप सिक्किम के नागरिक हैं, तो टीडीएस से छूट पाने के लिए कृपया प्रथम महीने के दावे जमा करते समय अपनी सीओआई की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

(iv) ली गयी कुल कक्षाओं की गणना करते समय शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार कक्षाओं की शुरुआत / निलंबन से पहले / के बाद की गई ड्यूटी को शामिल नहीं करें।

(iv) सभी नए अतिथि संकायों से निवेदन है कि वे विश्वविद्यालय की वैबसाइट www.cus.ac.in में उपलब्ध पीएफ़एमएस फॉर्म-2 जमा करें।

अनुलग्नक -क

विभाग के अध्यक्ष/प्रभारी की संस्तुति

प्रो./डॉ./श्री/सुश्री...ने ....विभाग में ....से ....तक की अवधि के दौरान ....(संख्या) व्याख्यान दिया। प्रति व्याख्यान रु. 1500/- के हिसाब से देय पारितोषिक ....(रुपये..) है।

क्र.सं.	दिनांक/दिन	समय	कक्षाओं की संख्या	कुल

दिनांक

विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर
मोहर